



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार  
UTTRAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR  
हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,  
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY  
पो-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402  
P.O. : BAHADURABAD (HARIDWAR) -249402  
☎ : 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 1057 / प्रशासन / 2024

दिनांक 01 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश

भारत के राजपत्र असाधारण भाग III-खण्ड 4 संख्या-233 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 एवं मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में छात्र शिकायत निवारण समिति (Student Grievance Redressal Committee) का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

|   |  |
|---|--|
| क) एक प्रोफेसर - अध्यक्ष  | प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला, आचार्य   |
| ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।  | डॉ. प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य<br>डॉ. शैलेश कुमार तिवारी, सह आचार्य<br>डॉ. कामाख्या कुमार, सह आचार्य<br>डॉ. अजय परमार, सहायक आचार्य |
| ग) शैक्षिक योग्यता/खेल-कूद में उत्कृष्टता/सह- पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रों में से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित (छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा नामित) | श्री योगेश संदल, शास्त्री द्वितीय वर्ष साहित्य विभाग   |
| घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।   | श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायक आचार्य   |

2. विश्वविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण समिति (Student Grievance Redressal Committee) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा, विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।

3. उक्त समिति अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करेगी। छात्र शिकायत निवारण समिति अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता के माध्यम से मा. कुलपति महोदय को भेजेगी और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगी। छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

उक्त समिति से अपेक्षा है कि वे भारत के राजपत्र असाधारण भाग III-खण्ड 4 संख्या-233 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेगी।

(गिरीश कुमार अवस्थी)

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक।
4. उपकुलसचिव।
5. सहायक कुलसचिव अकादमिक/प्रशासन।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष।
7. समिति के समस्त अध्यक्ष/सदस्य।
8. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
9. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)

कुलसचिव